Dr. Satish Meena

**19 November 2022**

सेवा में

श्रीमान माननीय न्यायालय

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उदयपुर

1 मृतक की पत्नी

2 पुत्र

3 पुत्री

4 माता

5 पिता

निवासी - प्रार्थी गण

बनाम

1 वाहन चालक

2 वाहन स्वामी, वाहन संख्या [नाम, पिताजी का नाम, निवासी]

3 वाहन आगोपक (बीमा कंपनी का नाम) - विपक्षी गण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166, मोटर वाहन अधिनियम

प्रकरण संख्या - <case\_number>

महोदय जी,

उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी गण की और से निम्न निवेदन है –

1 मृतक का नाम व पता

2 मृतक की आयु

3 मृतक व्यवसाय

4 नियोजक का नाम व पता

5 मृतक व्यक्ति की मासिक आय

6 क्या मृतक आयकर दाता था?

7 दुर्घटना की दिनांक, स्थान व समय

8 पुलिस थाने का नाम जिसके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना गठित हुई

9 क्या मृतक व्यक्ति दुर्घटना में लिप्त वाहन में यात्रा कर रहा था? यदि हाँ तो यात्रा प्रारंभ करने का स्थान या गंतव्य स्थान

10 दुर्घटना में मृतक को आयी चोटों का विवरण

11 दुर्घटना में संपत्ति को क्षति पहुँची हो तो उसका विवरण

12 पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्षक का नाम व पता

13 उपचार में लगा समय व कितनी राशि व्यय हुई

14 कार्य क्षमता का हस्व हुआ हो तो उसका विवरण

15 संबंधित (दुर्घटनाग्रस्त) वाहन की संख्या व प्रकार

16 वाहन स्वामी का नाम व पता [अनवान में विपक्षी संख्या 2 के रूप में अंकित है]

17 बीमा कर्ता का नाम व पता [अनवान में विपक्षी संख्या 3 के रूप में अंकित है]

18 वाहन चालक का पता

19 क्या वाहन स्वामी / बीमा कर्ता से क्षतिपूर्ति की माँग कि गई? यदि हाँ तो उसका परिणाम [यदि राजकीय वाहन से दुर्घटना गठित होती है एवम् पार्टी सरकार होती है तो उसमे compensation माँगना पड़ता है 80 CPC के तहत। (यदि वक्त दुर्घटना विपक्षी कुछ रुपयों का भुगतान कर दे तो वहाँ भी लिखना होगा) (यदि कोई फैक्ट्री में मज़दूर काम करते करते मर जाता है तो आप नियोजक से वर्कमैन compensation ले सकते हो एवम् 2 वर्ष के अंदर अंदर यदि भुगतान नहीं किया गया हो तो इसका दावा कोर्ट में ला सकते है। एवम् भुगतान नहीं करने पर पेनल्टी भी लेने का प्रावधान है।) ]

20 प्रार्थी गण का नाम व पता [उपरोक्त अनवान में अंकित है]

21 प्रार्थी गण का मृतक व्यक्ति से सम्बंध [प्रार्थी संख्या 1 मृतक की पत्नी, प्रार्थी संख्या 2 मृतक का पुत्र,…]

22 क्षतिग्रस्त संपत्ति से स्वामित्व संबंधी तथ्य

23 क्षतिपूर्ति राशि जिसकी माँग की गई है [सारी कैलकुलेशन यहाँ आएगी]

24 क्षतिपूर्ति की राशि माँगने का आधार व उसका विवरण

**24 November 2022**

Fir -> investigation -> Charge Sheet (Challan) -> Charges -> Arguments -> Evidence & Witness -> Judgement

**भारतनाथ योगी सर**

**जमानत पत्र:**

Sec 437 CrPC -> न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगाई जाने वाली बेल

सेशन न्यायालय में लगायी जाने वाली बेल एप्लीकेशन का ड्राफ्ट

इसमें 2 तरह की होती है

* u/s 438 अग्रिम जमानत
* u/s 439 नियमित बेल (HC & Session Court)

जब 437 में न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी बेल एप्लीकेशन को ख़ारिज कर देता है तो बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में लगायी जाती है।

विशेष न्यायालय में पुलिस सीधा उन्हीं कोर्ट में ले कर जाती है

एवम् जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग लिखा होता है तो वही पर 437 में एप्लीकेशन लगती है।

**अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन (Anticipatory Bail Application)**

सेवा में

श्रीमान न्यायालय

सेशन न्यायालय उदयपुर या सत्र न्यायालय उदयपुर

राजस्थान

राम चंद्र पुत्र श्याम चंद्र (प्रार्थी का नाम),

उम्र - 21 वर्ष,

निवासी – मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी

उदयपुर राजस्थान **– प्रार्थी / अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य ज़रिए लोक अभियोजक, उदयपुर **- विपक्षी**

प्रकरण संख्या – / 22 विविध फ़ौजदारी

FIR संख्या – 101/22 PS सूरजपोल

अपराध अन्तर्गत धारा – 420, 467, 468, 471 IPC

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 CrPC 1973**

महोदयजी,

उपर्युक्त अनवान / प्रकरण में प्रार्थी / अभियुक्त राम चंद्र की ओर से सविनय निम्न लिखित निवेदन है: -

1. यह कि प्रार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध राजू सिंह द्वारा पुलिस थाना सूरजपोल में पूर्वोक्त / उक्त FIR संख्या 101/22 इस आशय से दर्ज करवायी गई है कि उसने अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर यूनिवर्सिटी रोड स्थित एक भूखंड कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बेईमानी से हड़प लिया है वगेरह।
2. यह कि उक्त प्रकरण में अनुसंधान के दौरान मैं अपना बचाव प्रतिवेदन तथा सही तथ्य अनुसंधान अधिकारी को बता चुका हूँ फिर भी पुलिस मुझे गिरफ़्तार करने पर उतारू है (आमदान है)।
3. यह कि तथा कथित अपराध मुझ प्रार्थी द्वारा करित नहीं किया गया है। मैं एक लोक सेवक हूँ एवम् संबंधित विवाधित भूखंड के विक्रय पत्र में मैंने केवल मात्र एक गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। मेरे द्वारा ना तो वह भूखंड ख़रीदा गया है ना ही विक्रय गया है।
4. यह कि तथा कथित मामले में मेरे द्वारा न तो किसी प्रकार का बेईमानी से सदोष लाभ प्राप्त किया गया है न ही किसी व्यक्ति को सदोष हानि करित की गई है। तथा ना ही मेरे द्वारा किसी दस्तावेज की कूट रचना की गई है।
5. यह कि प्रकरण में मुझे पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए जाने की आशंका है और यदि मैं गिरफ़्तार होता हूँ तो समाज में मेरा मान सम्मान व प्रथिष्ठा गिर / धूमिल हो जाएगी।
6. यह कि संबंधित मामला पुलिस थाना सूरजपोल ज़िला उदयपुर में दर्ज होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान आप न्यायालय में निहित/प्राप्त है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।
8. यह कि अन्य तथ्य वक्त बहस निवेदित किए जाएँगे।

अतः श्रीमान न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुलिस / अनुसंधान अभिकरण (एजेंसी) को प्रार्थी की गिरफ़्तारी कि स्थिति में उसे तुरंत जमानत – मुचलके पर छोड़े जाने के निर्देश देने की कृपा करें।

(हस्ताक्षर प्रार्थी / अधिवक्ता)

दिनांक – 24 / 11 / 2022

स्थान – उदयपुर

**नोट**

धारा 438 सीआरपीसी के तहटी अग्रिम जमानत का यह प्रथम प्रार्थना पत्र है तथा धारा 482 एवम् 438 के तहत माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान अथवा अन्य सेशन न्यायालय में ना तो कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ना ही लंबित है।

(हस्ताक्षर प्रार्थी / अधिवक्ता)

दिनांक – 24 / 11 / 2022

स्थान – उदयपुर

**नियमित जमानत की एप्लीकेशन (Regular Bail Application)**

प्रार्थी / अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है ।

जमानत का प्रथम आवेदन पत्र है ।

सेवा में

श्रीमान न्यायालय

सेशन न्यायालय उदयपुर या सत्र न्यायालय उदयपुर

राजस्थान

दीपक पिता बाबूलाल डामोर (प्रार्थी का नाम),

उम्र - 21 वर्ष,

निवासी – बाल्वी थाना बाघपुरा, ज़िला उदयपुर (राज)

**– प्रार्थी / अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य ज़रिए लोक अभियोजक, उदयपुर

**- विपक्षी**

प्रकरण संख्या – / 22 विविध फ़ौजदारी

FIR संख्या – 113/2022 PS फ़लासिया

अपराध अन्तर्गत धारा – 392 IPC

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 CrPC 1973**

महोदयजी,

उपर्युक्त अनवान / प्रकरण में प्रार्थी / अभियुक्त दीपक पिता बाबूलाल डामोर की ओर से सविनय निम्न लिखित निवेदन है: -

1. यह की प्रकरण में तथाकथित अपराध के आरोप में प्रार्थी को अनुसंधान अभिकरण द्वारा दिनांक 12/11/2022 को गिरफ़्तार कर सक्षम अधीनस्त न्यायालय में पेश किया गया था जिसे न्यायिक अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया है अथ: उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 437 CrPC अधीनस्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/11/2022 को ख़ारिज किया गया।
2. यह की प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त पर जिस तथा कथित अपराध का आरोप लगाया गया है वह उसके द्वारा कारित नहीं किया गया है तथा प्रकरण में प्रार्थी से कोई बरामदगी शेष नहीं है। न ही उससे कोई बरामदगी हुई है।
3. यह की प्रकरण में मुख्य अभियुक्त मनीष एवं ईश्वर लाल के ज़मानत आदेश पूर्व में दिनांक 02/11/2022 को माननीय आप न्यायालय द्वारा विविध अपराधिक प्रकरण संख्या – 2080/2022 में हो चुके है।
4. यह की प्रकरण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग द्वारा विचारण योग्य है एवं प्रकरण के अनुसंधान तथा विचारण में काफ़ी समय लगने की संभावना है।
5. यह कि प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में कोई दोषसिद्धि नही है तथा उसके द्वारा ज़मानत का लाभ प्राप्त किए जाने पर प्रकरण के अनुसंधान एवं विचरण को दुष्प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।
6. यह की प्रार्थी अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में होने से उसे न्यायशुल्क से छूट प्राप्त है। इसलिए प्रार्थना पत्र बिना न्यायशुल्क के पेश है।
7. यह की तथाकथित अपराधिक मामला उदयपुर सेशन खण्ड के पुलिस थाना फ़लासिया में दर्ज होने से प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान आप न्यायालय में निहित है।
8. यह की अन्य तथ्य वक़्त बहस निवेदित किए जाएंगे।
9. यह की प्रार्थी श्रीमान आप न्यायालय के आदेशानुसार उचित ज़मानत मुचलके पेश करने को तैयार है।

अतः श्रीमान न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे उचित ज़मानत मुचलको पर अभिरक्षा मुक्त करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

(हस्ताक्षर अधिवक्ता)

दिनांक – 17 / 11 / 2022

स्थान – उदयपुर

**नोट**

प्रार्थी अभियुक्त द्वारा ज़मानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फो. के तहत ज़मानत का यह प्रथम आवेदन है। माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में धारा - 439, 438, 482 के तहत कोई प्रार्थना पत्र न तो पेश किया गया है न ही विचाराधीन है।

(हस्ताक्षर अधिवक्ता)

दिनांक – 17 / 11 / 2022

स्थान – उदयपुर